प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीन'

[9/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5525]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5525 **परिशिष्ट 'अ'**

वर्ष	गोपाल गौशाला,कटन, महिदपुर	श्री कृष्ण गौशाला, रावतखेडी
2011–12	100825	70300
2012–13	198945	102915
2013–14	187335	60010
2014–15	59340	17940
2015–16	69525	20925
योग	**615970/–**	**272090/–**
बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का विवरण	53033272430 एस.बी.आई., महिदपुर	911610100005200 बी.ओ.आई., झारड़ा

प्रबंध संचालक
म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र० 5525 परिशिष्ट-'ब'

कार्यालय, मध्य प्रदेश गैापालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
जेल रोड़ (आर.ए.के.परिसर), जहांगीराबाद, भोपाल।
दूरभाष - 0755-2675210, फेक्स - 2572589, ईमेल - mpgosevaayog@epatra.com

क्रमांक 1411/मंडी बोर्ड/जिलों को आ.स. /2005-06 भोपाल दिनांक 13-10-2005

प्रति,

01. कलेक्टर
(अध्यक्ष, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति)
जिला......समस्त......(समस्त)

02. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं
(सदस्य सचिव, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति)
जिला......समस्त......(समस्त)

विषयः- जिले की गौशालाओं को आर्थिक सहायता - पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 273/मंडी बोर्ड/जिलों को आ.स./2004-05 दिनांक 23-02-2005 द्वारा गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा पत्र क्रमांक 907/पंजीयन/प्रक्रिया/मासि/2004-05 दिनांक 22-06-2005 द्वारा जिले की नवीन गौशालाओं के पंजीयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत आवश्यक कार्रवाई हेतु आपकी ओर भेजे गये थे।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 20-09-2005 को संपन्न मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की बैठक में उपरोक्त सिद्धांतों में संशोधन किये गये है। अतः उक्त दोनों परिपत्रों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

[अ] गौशालाओं को आर्थिक सहायता निम्न मापदंडों के आधार पर स्वीकृत की जायः-

(01) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत तथा क्रियाशील गौशालाओं को मुख्यतः उनमें उपलब्ध अशक्त/असहाय/रोगी/वृद्ध/दूध न देने वाले गौवंश की संख्या के आधार पर राशि वितरित की जाए।

(02) गौशाला कम से कम एक वर्ष से संचालित हो।

(03) गौशाला में कम से कम 25 गौवंशी पशु हो तथा गौशाला में उपलब्ध कुल पशुओं के 75 प्रतिशत गौवंशी पशु वृद्ध, अशक्त तथा दूध न देने वाले हो।

(04) गौशाला का प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्थित तथा सुचारू हो।

(05) जिला गौपालन समिति के शासकीय/अशासकीय सदस्य प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से जिले की गौशालाओं का निरीक्षण कर स्वीकृत राशि के समुचित उपयोग एवं गौशाला की प्रगति के विषय में प्रपत्र क में जानकारी प्राप्त करें।

(06) गौशाला से राशि की रसीद प्राप्त की जाय।

(07) पूर्व में प्रदाय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली सहायता दी जाय।

(08) प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में चार्टर्ड अकाउटेंट की गौशाला की आडिट रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाय। गत आडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में अगली सहायता न दी जाय।

[ब] नवीन गौशालाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त प्रकरणों का जिला समितियां निम्न आधारो पर परीक्षण कर मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्यपरिषद को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रेषित करेगीः-

(01) "म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल" के नाम रु.पचास केवल का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करे।

(02) आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप एक (आवेदन पत्र), प्रारूप दो (गौशाला की जानकारी), प्रारूप दो-अ (समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र), प्रारूप दो-ब (गौशाला समिति का विधान), प्रारूप तीन (संस्था का रजिस्टर) तथा प्रपत्र-क (गौशाला के संबध में उप संचालक का प्रमाण पत्र) में हो। समस्त प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे गये हो, कोई कालम खाली न हो।

(03) गौशाला में कम से कम 25 गौवंशी पशु हो तथा गौशाला में उपलब्ध कुल पशुओं के 75 प्रतिशत गौवंशी पशु वृद्ध, अशक्त तथा दूध न देने वाले हो।

(04) गौशाला का प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्थित तथा सुचारू हो।

(05) गौशाला का बैंक खाता किसी बैंक में हो।

(06) गौशाला के पास पशु संख्या अनुसार पर्याप्त भूमि, भवन तथा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो। गौशाला के भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे पी-II फार्म, पट्टा, खसरा, नक्शा, किरायानामा, लीज, दानपत्र आदि जो भी लागू हो अवश्य संलग्न किए जाय।

(07) प्रकरण जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के अनुमोदन उपरांत ही पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को भेजा जाय।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक 1412 /मंडी बोर्ड/जिलों को आ.स. /2005-06 भोपाल दिनांक 13-10-2005

सूचनार्थ प्रतिलिपिः-

01. निज सहायक, अध्यक्ष, म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, (कार्यपरिषद) दी-12, दयानंद नगर, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

उप संचालक
म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

जेल रोड (आर.ए.के. परिसर), जहाँगीराबाद, भोपाल
(दूरभाष : 0755-2675210, फैक्स : 0755-2572589)

क्रमांक : **दिनांक :** ....

[redacted]मांक ......4182/ बैठक 18.02.2008 / पा.प्र. / 2008, भोपाल, दिनांक 16/4/08
[redacted]

कलेक्टर,
अध्यक्ष जिला गौपालन एंव पशुधन संवर्धन समिति,
जिला ....

विषय :- नवीन गौशालाओं के पंजीयन हेतु न्यूनतम पशु संख्या 50 होने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड की [redacted] कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2008 में लिये गए निर्णय अनुसार भविष्य में नवीन [redacted]शालाओं के पंजीयन हेतु न्यूनतम ~~पशु~~ संख्या 50 निर्धारित की गई है।

कृपया भविष्य में इस नियम का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. जी.डी. गुलबारे)
उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवाये,
मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक ......4183/ बैठक 18.02.2008 / पा.प्र. / 2008, भोपाल, दिनांक 16/4/08

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक / उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला .... की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवाये,
मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

उप संचालक